राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या –83 / 2013
अन्तर्गत
अपील संख्या–65 / 2012

हरि मोहन मीणा

–प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

1. श्री सुदर्शन सैठी, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. श्री जे.सी. Mohanty, प्रमुख शासन सचिव, पीडब्ल्यूडी, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. श्री ए.के. सिंघी, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.09.2024

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं
अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से श्री अनुराग कुलश्रेष्ठ, अधिवक्ता ने अपने पक्षकार से संपर्क नहीं होने के कारण इस अपील में No Instruction Plead किया है।
2. इस अवमानना याचिका में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को इस अधिकरण के द्वारा पूर्व में अपील संख्या 65 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2012 की पालना में पदोन्नति प्रदान की जायें। इस अधिकरण ने उक्त वर्णित अपील संख्या 65 / 2012 में आदेश दिनांक 11.07.2012 के द्वारा यह आदेश दिया था कि अपीलार्थी को विचाराधीन आपराधिक प्रकरण के अध्याधीन पदोन्नति दी जायें।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कथन किया गया है कि अपीलार्थी को उक्त फौजदारी प्रकरण में दोष सिद्ध करार दिये जाने के उपरांत आदेश दिनांक 28.07.2015 के द्वारा राजकीय सेवा से पदच्युत किये जाने का आदेश पारित

पारित किया है। अतः हम पाते हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण में दोष सिद्ध होने एवं अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त किये जाने के आधार पर यह अवमानना याचिका सारहीन हो जाती है। परिणामस्वरूप इस अवमानना याचिका में कोई बल नहीं होने से अवमानना याचिका में कार्यवाही Drop की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)